

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :-

दिनांक :-

आदेश संख्या : 290/2017-18

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित तिथि से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स. (1)	नाम (सर्वश्री) (2)	जन्मतिथि (3)	से.नि. तिथि (4)	वर्तमान पदस्थापन (5)	विशेष विवरण (6)
1	नन्द किशोर शर्मा - [1854]	12/01/1958	31/01/2018	तसीलदार, श्रीमाधोपुर, सीकर - - 13211	

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक :- 22-01-2018

क्रमांक :- 4.3.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- ✓ 6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)